न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 45/2024	तारीख रजू 08.07.2024	निर्णय दिनांक 18.07.2024

सरकार बनाम नवल

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खूटलां सलौना ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि नवल पुत्र लहरी जाति गुर्जर निवासी सहजपुर ने ग्राम सहजपुर के खसरा नं. 601/90, में कुल रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 तालाब पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से ईधन डालकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायलान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि द्वारा प्रार्थी का किसी भी सरकारी भूमि में कोई कब्जा नहीं किया है यदि भूलवश कोई कब्जा हो गया है तो उसे हटा लेगा। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान द्वारा उक्त भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा ईधन डालकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 0.17/– की 50 गुना शास्ति 9/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ....
पर रुपये 9/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार